

प्रेषक,

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

खेलकूद अनुभाग

देहरादून : दिनांक 27 जून, 2019

विषय- 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून में निर्माणाधीन इण्डोर शूटिंग रेंज का निर्माण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1321/शू०रें०नि०पत्रा०/2016-17/दे०दून, दिनांक 02 मार्च, 2019 एवं 38वें राष्ट्रीय खेलों के दृष्टिगत महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज, रायपुर, देहरादून में शूटिंग रेंज निर्माण कार्य किये जाने के सम्बन्ध में पूर्व में व्यय वित्त समिति द्वारा दिनांक 03 जनवरी, 2017 को अनुमोदित एवं टी०ए०सी० द्वारा संस्तुत ₹1389.81 लाख (सिविल कार्यों हेतु ₹1174.99 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों हेतु ₹ 214.82 लाख) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रथम चरण के निर्माण कार्य हेतु प्रथम किस्त के रूप में ₹ 200.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-980(A)/VI/2017-21(13)/2016, दिनांक 14 फरवरी, 2017, चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में द्वितीय किस्त के रूप में ₹ 200.00 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-827/VII/2019-21(13)/2016, दिनांक 11 फरवरी, 2019 एवं पुनर्विनियोग के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में तृतीय किस्त के रूप में ₹ 263.44 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-51/VII/2019-21(13)/2016, दिनांक 05 मार्च, 2019 द्वारा इस प्रकार कुल ₹ 663.44 लाख की धनराशि उपलब्ध करा दिये जाने के उपरान्त महासचिव, भारतीय ओलम्पिक संघ, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 07 मार्च, 2019 के माध्यम से 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन वर्ष 2021 में होने एवं उत्तराखण्ड राज्य को खेलों की मेजबानी दिये जाने के दृष्टिगत तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा पूर्व में स्वीकृत आगणन में स्वीकृति हेतु 50 मीटर शूटिंग रेंज (10 टारगेट), 25 मीटर शूटिंग रेंज (10 टारगेट), 10 मीटर शूटिंग रेंज (20 टारगेट) 38वें राष्ट्रीय खेलों के मानकानुसार नहीं होने के कम में राज्य सरकार पुनः आगणन को संशोधित करते हुये मानकानुसार 50 मीटर शूटिंग रेंज (40 टारगेट), 25 मीटर शूटिंग रेंज (40 टारगेट), 10 मीटर शूटिंग रेंज (60 टारगेट) के अनुसार किये जाने के फलस्वरूप निर्माणाधीन शूटिंग रेंज के कार्य को 38वें राष्ट्रीय खेलों के मानकानुसार (कमशः 60, 40, 40 टारगेट न्यूनतम रूप से) पुनरीक्षित करते हुये आगणन को ₹3361.94 लाख के सापेक्ष टी०ए०सी० वित्त विभाग के परीक्षणोपरान्त संस्तुत धनराशि ₹3118.55 लाख (सिविल कार्यों हेतु ₹2788.43 लाख तथा अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार कराये जाने वाले कार्यों हेतु ₹ 330.12 लाख) की धनराशि औचित्यपूर्ण पाते हुये एवं व्यय वित्त समिति द्वारा दिनांक 30 मई, 2019 को पुनरीक्षित आगणन ₹3118.55 लाख की धनराशि पर अपना अनुमोदन प्रदान करते हुये कार्यवृत्त संख्या-870, दिनांक 07 जून, 2019 द्वारा उक्त पुनरीक्षित आगणन स्वीकृत होने के फलस्वरूप उक्त कार्य मानकानुसार किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि (पुनरीक्षित आगणन की धनराशि ₹ 3118.55 लाख - पूर्व में स्वीकृत आगणन के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि ₹ 663.44 लाख) इस प्रकार कुल अवशेष धनराशि ₹ 2455.11 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 में चतुर्थ किस्त के रूप में ₹ 600.00 लाख (छः करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय करने की "राज्यपाल महोदय" सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

2. कार्य निर्धारित अवधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय। इस आगणन के पश्चात आगणन पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा।
3. सौर ऊर्जा (Solar Energy) के उपयोग का समुचित प्राविधान किया जाय।
4. निर्माण सामग्री यथा-Bricks, सीमेन्ट, स्टील एवं प्रयुक्त अन्य सामग्री का Frequency के अनुरूप से N.A.B.L Laboratory से परीक्षण अवश्य करा लिया जाय।
5. आगणन में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की डी0एस0आर0 दरें ली गई है एवं उसी के अनुरूप मर्दें एवं विशिष्टियां भी उल्लिखित है। विशिष्टियां तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में कार्यदायी संस्था तथा प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मर्दों का आगणन में समावेश करेंगे जो अपरिहार्य मर्दें हैं।
6. मितव्ययता के दृष्टिकोण से यथासम्भव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से ही नियोजन को अवगत करायेंगे।
7. वर्तमान में प्रस्तुत आगणन योजना का प्रथम पुनरीक्षित आगणन है। इसके उपरान्त योजना में अन्य कोई पुनरीक्षण कदापि मान्य नहीं होगा।
8. उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-284/XXVII(1)/2013, दिनांक 30 मार्च, 2013 में निहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मर्दों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। उक्त कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्त विभाग के शासनादेश सं0-475/XXVII(7)/2008, दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के विहित शर्तों के अनुसार कार्यदायी संस्था से निर्धारित प्रपत्र पर एम0ओ0यू0 अवश्य हस्ताक्षरित करा लिया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
9. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि मदवार स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
10. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लो0नि0वि0 द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
11. कार्य करने से पूर्व उच्चाधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता (कार्य की आवश्यकतानुसार) से कार्य स्थल का भली-भांति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाए।

12. अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण शासन को प्रेषित किये जाय तथा समस्त कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर ही पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित किया जायेगा।

13. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219(2006), दिनांक 30 मई, 2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।

14. अधिप्राप्ति कार्यों हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

15. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका से करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा। कार्य करते समय टेण्डर विषयक नियमों का भी अनुपालन किया जाय। यदि टेण्डर करने में कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति की लागत से कम लागत पर पूर्ण होता है तो ऐसे समस्त बचतों को प्रचलित वित्तीय नियमों का अनुपालन कर राजकीय कोष में जमा कर दिया जाय।

16. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। तथा विलम्ब के कारण आगणन किसी भी दशा में पुनरीक्षित नहीं किया जायेगा। कार्य का गुणवत्ता परीक्षण नियोजन विभाग द्वारा चयनित संस्था से कराये जाने हेतु प्रस्ताव समयान्तर्गत नियोजन विभाग को प्रेषित करते हुए समयबद्ध कार्यवाही की जायेगी।

17. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11-लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत व्यय-03 खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम-102-खेलकूद स्टेडियम-28-38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन-35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान पक्ष के नामें डाला जायेगा।

18. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-28(M0)/XXVII(3)/2019-20, दिनांक 27 जून, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-अलाटमेंट आई0डी0 संख्या-S19060115020, दिनांक 27 जून, 2019

भवदीय,

(डॉ० भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 140/VI/2019-21(13)/2016, तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वरिष्ठ वित्त अधिकारी, खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. बजट राजकोषीय संसाधन निदेशालय, देहरादून।
6. महाप्रबन्धक/परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम
(खेल इकाई), देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
8. वित्त आयोग निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से



(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव।



बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - (2019 - 2020)
Secretary-Secretary, Sports(S047)
HOD-Director Sports(2441)

आवंटन पत्र संख्या - 140/VI/2019-21(13)/2016
अनुदान संख्या-011

आवंटन आई डी-S19060110020
आवंटन पत्र दिनांक-27-JUN-2019

लेखा शीर्षक

4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति
पर पूंजीगत परिव्यय
102-खेल-कूद स्टेडियम
00--

03-Sports and Youth Services
Sports Stadium

26-38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन

Voted

4	2	0	2	0	3	1	0	2	2	6	0	0
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी		वर्तमान में जारी		अब तक का व्यय		योग				
35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान		15180000		60000000		0		75180000				
योग		15180000		60000000		0		75180000				

Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.6,00,00,000 (Rupees Six Crores Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER